निर्वाचन/आवश्यक/फैक्स

राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांकः 107/रा.नि.आ.3/1142/2011

दिनांक 25-04-2011

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तरांचल ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी(स्थानीय निकाय),
उत्तरांचल।

राज्य निर्वाचन आयोगः अनुभाग–3 : देहरादून

विषयः–नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचन नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण–2011 हेतु अधिसूचना में उल्लिखित समय–सारिणी के अनुसार कार्यवाही।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आयोग की अधिसूचना संख्या 107/रा0नि0आ0–3/1142/2011 दिनांक 25 अप्रैल, 2011 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावली का विनिर्दिष्ट रीति से अधिसूचना में दिये गये कार्यक्रमानुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण किये जाने के संबंध में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम(निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) नियमावली, 1994) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश के नियम–19 (3) में उल्लिखित प्राविधानः–

> "जहां किसी वर्ष में, ऐसी नामावली संक्षिप्तः पुनरीक्षित की जानी हो वहां निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर, जैसी सुगमता से उपलब्ध हो, नामावली के सुसंगत भाग के लिये संशोधनों की एक सूची तैयार करवायेगा और नामावली को संशोधनों की सूची के साथ प्रारूप में छपवायेगा और निमय 6 से 16 के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी वार्ड की नामावली के प्रथम बार तैयार किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।"

के अनुसार स्थानीय निकायों के कक्षों की निर्वाचक नामावली को पुनरीक्षित किया जायेगा। इस संबंध में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वार्ड/कक्ष के प्रत्येक व्यक्ति जिसने 01 जनवरी, 2011 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, का नाम निर्वाचक नामावली में अवश्य सम्मिलित हो जाय। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्तिः–

(क) जिसका नाम वार्ड के क्षेत्र से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में सम्मिलित हो किन्तु वार्ड/कक्ष की नामावली में सम्मिलित किया नहीं गया हो, या

(ख) जिसका नाम त्रुटिवश किसी अन्य वार्ड/कक्ष की नामावली में सम्मिलित कर दिया गया हो, या

(ग) जिसका नाम वार्ड/कक्ष के क्षेत्र में संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली में या वार्ड/कक्ष की नामावली में सम्मिलित न हो किन्तु जो वार्ड/कक्ष की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए अन्यथा अर्ह हो, या

(घ) जिसका नाम किसी अनर्हता के कारण वार्ड/कक्ष की नामावली से काट दिया गया हो, किन्तु जो यह दावा करे कि उसकी अनर्हता को अब दूर कर दिया गया है, अपना नाम वार्ड/कक्ष की नामावली में सम्मिलित कराने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन दे सकता है।

क्रमशः 2

3. निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन, प्राप्त दावे, आपत्तियों तथा सुगमता से उपलब्ध अन्य सूचना के आधार पर परीक्षणोपरान्त किये जाएंगे। दावे तथा आपत्तियों के निरतारण के पश्चात् निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण–2011 की तैयार की गई सूचियों को तीन शीर्षकों में विभाजित किया जायेगा:–

(1) परिवर्धित सूची–2011
(2) संशोधित सूची–2011
(3) विलोपित सूची–2011

उक्तानुसार तैयार की गई सूची के **प्रत्येक पृष्ठ पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षर किए जायेंगे।** इन सूचियों को मुद्रित कराकर निर्वाचक नामावली के साथ संलग्न कर अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त यह अवगत कराया जाना समीचीन है कि निर्वाचक नामावलियों से संबंधित पूर्व से लम्बित शिकायतें/आपत्तियों (मा0 न्यायालय संबंधी प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण भी उल्लिखित कार्यक्रम के अन्तर्गत सुनिश्चित कर लिया जाय।

4. पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली को अद्यावधिक करने के उद्देश्य से यह प्रयास होना चाहिए कि उस क्षेत्र के मतदाता इससे अवगत रहे कि निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण हेतु अधिसूचना में अंकित समय–सारणी के अनुसार किन दिनांकों पर क्या कार्यवाही निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा की जायेगी। अतः यह आवश्यक है कि इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाय तथा राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की **नागर निकाय निर्वाचन "निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण एवं निर्वाचक नामावली सम्बन्धी निर्देश पुस्तिका" के अध्याय–3** में उल्लिखित सम्बन्धित स्थान/भवन तथा कार्यालयों के साथ–साथ संबंधित नागर स्थानीय निकायों के माध्यम से उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों से व्यापक प्रचार–प्रसार करा लिया जाय यथा, मुनादी अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा तथा स्थानीय समाचार–पत्रों के माध्यम से भी निःशुल्क प्रचार एवं प्रसार कराया जाना उपयोगी होगा।

5. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली का त्रुटिरहित, शुद्ध एवं परिपूर्ण होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः पुनरीक्षित निर्वाचक नामावली सम्यक् रूप से नियमानुसार तैयार कराई जाय ताकि त्रुटियों की संभावना न रहे। साथ ही इस संबंध में विशेष निर्देश समस्त पदाभिहित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को देते हुए संबंधित निकायों के प्रतिनिधियों एवं जनपद के जनप्रतिनिधियों को भी इस कार्यक्रम से अवगत करा दिया जाना उपयोगी होगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नागर स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों को संशोधित कर उनके कार्यालयों तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय के सूचनापटों पर दिनांक 15 जून, 2011 को प्रदर्शित करेंगे।

6. पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश के दिनों में सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। कृपया कृत कार्यवाही एवं प्रगति से आयोग को अवगत कराएँ।

संलग्नक–विज्ञप्ति का प्रारूप।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 108 /रा0नि0आ0–3/1142/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (स्थानीय निकाय)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, जो नागर स्थानीय निकाय कार्य व्यवहृत कर रहे हो।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तरांचल।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

21/6/11
(एच0बी0थपलियाल)
संयुक्त सचिव।

नागर स्थानीय निकायों की निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम

माह मई–जून, 2011

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नागर स्थानीय निकायों (नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत) की निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार माह मई–जून, 2011 में निम्न समय–सारिणी के अनुसार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) में अपना सही नाम व पता अंकित कराने, गलत प्रविष्टियों के निष्कासन तथा पात्र व्यक्तियों के नाम सम्मिलित करने हेतु यह अवसर प्रदान किया गया है। इसमें **दिनांक 01 जनवरी, 2011 को 18 वर्ष** की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति भी निर्वाचक नामावली में अपना नाम अंकित करा सकेंगे।

क.सं.	कार्यक्रम	अवधि	दिनांक
1.	नोटिस प्रदर्शन/निर्वाचक नामावली का प्रकाशन	–	02.05.2011
2.	निर्वाचक नामावली का निरीक्षण	05 दिन	03.05.2011 से 07.05.2011 तक
3.	निर्वाचक नामावलियों पर दावे/आपत्तियों को प्राप्त करना	11 दिन	08.05.2011 से (दिनांक 17.05.2011 को छोड़कर) 19.05.2011 तक
4.	प्राप्त दावे/आपत्तियों पर सुनवाई	08 दिन	20.05.2011 से 27.05.2011 तक
5.	दावे/आपत्तियों का निस्तारण	04 दिन	28.05.2011 से 31.05.2011 तक
6.	निर्वाचक नामावली की पूरक सूचियों का मुद्रण	10 दिन	01.06.2011 से 10.06.2011 तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन	–	15.06.2011

अतः जनसाधारण से यह अपील की जाती है कि पात्र व्यक्ति इस अवसर का लाभ उठाकर निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम में भरपूर सहयोग प्रदान करें।

अन्य आवश्यक जानकारी संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा नागर निकायों के अधिशासी अधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(स्था0निकाय)
जिला.....

जिलाधिकारी/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला.....